

GSSUSO pernsal

1995  
30/7/92

35

4

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

Government of Himachal Pradesh  
Department of Health & Family Welfare.

No. Health-A(3)-4/77, Dated Shimla-2, the 25-7/1992

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Central Sterilisation Supply Supervisor, Class-III (Non Gazetted) in the Health & Family Welfare Department, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this notification; namely:-

- Short title and commencement. 1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Health & Family Welfare Department, Class-III, (Non -Gazetted) (Central Sterilisation Supply Supervisor) Recruitment & Promotion Rules, 1991.
- (ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Financial Commissioner-cum-Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Health-A(3)4/77, dated Shimla-2, the 25-7-1991,

Copy forwarded to:-

- 1. The Deputy Controller, Printing & Stationery, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
- 2. The Director of Health Services/Director-Principal, I.G.M.C. Shimla-1 with 10 spare copies.
- 3. Finance Department (c) Himachal Pradesh, Secretariat; Shimla-2.
- 4. Dy. Secretary (GAD) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. Assistant Draftsman (Language) H.P. Shimla-2.
- 6. Guard file - 100 copies.

*Handwritten signature and date: 29/7/91*

*Handwritten signature and date: 22.7.92*  
Joint Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CENTRAL  
STERILISATION SUPPLY SUPERVISOR (CLASS-III) IN THE DEPARTMENT OF  
HEALTH & FAMILY WELFARE IN THE H.P. GOVERNMENT.

---

Name of the Post: Central Sterilisation Supply  
Supervisor.

Number of Post: 1 (ONE)

Classification: Class-III (Non-Gazetted).

Scale of pay: Rs. 1640-40-2000-50-2400-60-2700-75-  
2925.

Whether selection or  
Non-Selection Post: Non-selection.

Age for direct recruit-  
ment: Not applicable.

Minimum educational &  
other qualifications  
required for direct  
recruitment. Essential: Not applicable.  
Desireable qualification:  
Not applicable.

Whether age and  
educational qualification  
prescribed for direct  
recruits will apply in the  
case of promotees. Age:- Not-Applicable.  
E.g. - Not-Applicable.

Period of probation, if  
any: Two years subject to such further  
extension for a period not exceeding  
one year as may be ordered by the  
competent authority in special  
circumstances and reasons to be  
recorded in writing.

Method of recruitment: 100% by promotion.  
Whether by direct  
recruitment or by promotion  
deputation, transfer and  
the percentage of  
vacancies to be filled in  
by various methods.

11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.

2  
By promotion from amongst the Central Sterilisation supply Technicians/Operation Theatre Asstts. with at least 5 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.1991, if any) service as such.

For purpose of promotion, a Combined Seniority list of Central Sterilisation Supply Technicians/Operations Theatre Asstts. will be prepared based on length of service inter-se-seniority not to be disturbed as far as possible.

NOTE(1) In all cases of promotion, adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.91, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:-

(a) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including adhoc service rendered upto 31.3.91 in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category of post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration,

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the persons junior to him, shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-

1

The last proviso shall not render the Junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal state Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited.

..... 3/-

Under the provisions of Rule -3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of Seniority thereunder.

b) Similarly, in all cases of confirmation, ad-hoc service rendered in the Feeder post upto 31-3-1991, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account ad-hoc service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

NOTE: Provisions of rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under rule 2 are increased.

2. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition: As may be constituted by the Government from time to time.
3. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment: As required under the Law.
4. Essential requirement for a direct recruitment: Not Applicable.
5. Selection for appointment to post by direct recruitment: Not Applicable.
6. Reservation: The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Backward Classes/ other categories of persons issued by the H.P. Govt. from time to time.
7. Power to relax. Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संख्या:स्वा-क३३४/७७,

तारीख शिमला-२,

२५-७/१९९१

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय वित्स्कमण प्रदाय पर्यवेक्षक वर्ग॥१॥॥॥अराजपत्रित॥ पद के लिये इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध"अ" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- ॥१॥ इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय वित्स्कमण प्रदाय पर्यवेक्षक सप्लाई सुपरवाईज-जर वर्ग-॥१॥॥अराजपत्रित॥पद भर्ती और प्रोन्नति नियम, १९९१ है।
- ॥२॥ ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा

वित्सायुक्त एवं सचिव॥स्वास्थ्य॥  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:स्वा-क३३४/७७ तारीख शिमला-२,

२५-७/१९९१

प्रतिलिपि प्रेषित है:-

१. उप-नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-५ को राजपत्र में प्रकाशित हेतु।
२. निदेशक स्वास्थ्य सेवार्य/निदेशक-प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-१-१० प्रतियां सहित।
३. वित्त॥विनियम॥विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-२
४. उप-सचिव॥सामान्य प्रशासन॥हिमाचल प्रदेश सरकार।
५. सहायक विधाई प्रारम्भकार॥राजभाषा॥हिमाचल प्रदेश शिमला-२
६. गार्ड फाईल . १०० प्रतियां।

संयोजक सचिव॥स्वास्थ्य॥  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

२२-७-९१

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य स्वयं परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय पर्यवेक्षक के लिये भर्ती स्वयं पदोन्नति नियम ।

- 1. पद का नाम
- 2. पदों की संख्या:
- 3. वर्गीकरण:
- 4. वेतनमान:
- 5. चयन पद अथवा अचयन पद:
- 6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु

केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय पर्यवेक्षक  
 स्तर: ११ अराजपत्रित  
 रुपये 1640-40-2000-40-2400-60-2700-  
 -75-2925  
 अचयन । - लागू नहीं

- 7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ:
- 8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नति की दृष्टि में लागू होंगी या नहीं ।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।

अनिवार्य:- लागू नहीं  
 वांछनीय अर्हता:- लागू नहीं ।  
 आयु:- लागू नहीं  
 शैक्षणिक अर्हताएँ:- लागू नहीं ।

- 10. भर्ती की प्रकृति: सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पदतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।

दो वर्ष, जिसका विस्तार एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिये किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दे ।  
 शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

- 11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दृष्टि में श्रेणियों जिनमें प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।

केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय तकनीशियन/शाल्य कक्ष सहायकों में से जिनका ग्रेड में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति के प्रायोजन के लिए केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय तकनीशियन/शाल्य कक्ष सहायकों को ग्रेड में नियुक्ति की तारीख के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता को जहाँ तक सम्भव हो परिवर्तित किये बिना, संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी ।

टिप्पण:- ।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए गणना में ली जायेगी:-

११ उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल जिसमें 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके के आधार पर उपरान्त निर्दिष्ट उपाबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उसने अपने-अपने पद/केडर में वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझ जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जायेंगे,

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा है, कम से कम तीन वर्षों की न्यूनतम अहस्त सेवा या पद के भर्ती होने पर प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होनी चाहिए।

परन्तु यह और भी कि, जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तु-क की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने से वन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहाँ उसके कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायेगा।

**स्पष्टीकरण:-**

अन्तिम परन्तु-क के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे हिमाचल प्रदेश आर्म्ड फोर्सिज परसोनल रिजर्विंग आफ वकैन्सीज इन हिमाचल-स्टेट नान टेक्नीकल सर्विसिज एक्ट-1972 के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिये गये हों या जिसके सन्तु-सर्विसिज एक्ट-1985 के नियम-3 के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गए हों।

इस प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी।

परन्तु 31.3.91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरियता अक्षरियत रहेगी।

**टिप्पण:2.**

जब कभी नियम 2 के अधीन पदों में बढ़ोतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किये जायेंगे।

- 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति जैसी कि सरकार द्वारा समय पर गठित विद्यमान हो तो उसकी सहायता ली जाये।
- 13. भर्ती करने में किन् परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा। जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षा हो।
- 14. सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षा लागू नहीं।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद की नियुक्ति के लिये चयन लागू नहीं।

**16. आरक्षण:-**

इस सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों/अन्य अनुसूचित जातियों के पूर्वगों के लिये सेवा में आरक्षण को बाका समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी।

**17. शिथिल करने की शक्ति:**

जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहाँ वह कारणों की अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों में या किन्हीं उपबन्धों को किसी वन या पदों के व्यक्तियों या पदों की बाका शिथिल कर सकेगी।